



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265]
No. 1265]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2008/भाद्र 18, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2008/BHADRA 18, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(बी आई एस अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

का.आ. 2172(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा का0आ0 1908(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 के तहत भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग में भारत सरकार के आदेश के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करती है; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणता नियंत्रण) आदेश 2008 है।

(2) यह आदेश 12 सितम्बर, 2008 से लागू होगा।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है;

(i) जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो;

(ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के सभी महा प्रबंधक, और

(iii) राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक अथवा आयुक्त।

(ग) 'ब्यूरो' से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(घ) 'व्यवहारी' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा

ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता हो।

(ड.) 'विनिर्माता' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी, भी है जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, समंजन अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।

(च) 'अनुसूची' से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) 'विनिर्दिष्ट मानक' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (1) में स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत है;

(ज) 'राज्य सरकार' से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(झ) 'इस्पात और इस्पात उत्पाद' से अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं।

(जं) जिन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री और वितरण आदि के बारे में निषेध :- (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिह्न अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ब्यूरो का मानक चिह्न न लगा हो।

परन्तु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देशन के अनुरूप हो और ऐसे विनिर्देशन किसी भी हालत में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होंगे।

(2) अवमानक अथवा दोषपूर्ण इस्पात और इस्पात उत्पादों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हो, को स्क्रेप के रूप में निपटाया जाएगा।

4. प्रमाणन के लिए वाध्यता (1) इस्पात और इस्पात उत्पादों के सभी विनिर्माता इस आदेश के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, यदि पहले प्राप्त न कर लिया हो, भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है तो वह मानक चिह्न के प्रयोग के लिए ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन प्रारंभ करेगा।

(4) किसी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा ब्यूरो द्वारा अनुसूची के स्तंभ (2) में अभिवादित एक अथवा अधिक इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए उसको रद्द कर दिए जाने पर ब्यूरो उसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को देगा।

5. सूचना आदि मंगाने की शक्ति: उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से,

(क) किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है; और

(ख) किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित या उसके कब्जे में अथवा नियंत्रण में बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों और अन्य इस्पात और इस्पात उत्पादों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।

6. नमूनों का परीक्षण : मानक चिह्न लगे और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु लिए गए किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने का ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसी रीति से परीक्षण किया जाएगा, जो ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों को निदेश जारी करने की शक्ति : उपयुक्त प्राधिकारी विनिर्माताओं और व्यवहारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो अधिनियम अथवा इस आदेश के अनुरूप हों और इस आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

8. निर्देशों का अनुपालन : अनुसूची में दिए गए किसी इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

9. सूचना देने की अनिवार्यता : कोई भी विनिर्माता अथवा व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों की अवहेलना करने के आशय से खण्ड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा अपने अधिष्ठान अथवा नियंत्रण में रखे किसी बही अथवा दस्तावेज या किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद को नहीं छुपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको विकृत अथवा उसके स्वरूप को विरूपित नहीं करेगा।

अनुसूची
(खण्ड 2(च) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अधीन इस्पात उत्पादों की सूची

भारतीय मानक संख्या	शीर्षक
(1)	(2)
1785 (पार्ट 1)	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए सामान्य हार्ड-इरॉन इस्पात की तार के लिए विनिर्देशन; भाग 1 कोल्ड - ड्रॉन स्ट्रेस रिलिफ्ड तार
1785 (भाग 2)	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए सामान्य हार्ड-इरॉन इस्पात की तार के लिए विनिर्देशन; भाग 2 ड्रॉन तार के रूप में
6003	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए इन्डेंटिड तार के लिए विनिर्देश
6006	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिफ्ड स्ट्रैंड के लिए विनिर्देश
13620	फ्यूजन बॉन्डिड इपोक्सी लगी अधिक मजबूत करने वाली अतिरिक्त सरियों के लिए विनिर्देशन
14268	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिफ्ड सात प्लाइ स्ट्रैंड के लिए विनिर्देश

[फा. सं. 5/13/2004-बी आई एस (वोल्यूम II)]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS SECTION)

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2008

S.O. 2172(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in supersession of the ORDER of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1908(E), dated the 12th November, 2007, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

* 17 products.

- 12
1. **Short title and commencement .-** (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2008.
- (2) This Order shall come into force with effect from the 12th September, 2008.
2. **Definitions.-** In this Order, unless the context otherwise requires, -
- (a) **"Act"** means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
- (b) **"Appropriate Authority"** means,-
- (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry of Steel;
- (ii) all General Managers, District Industries Centres of the State Governments; and
- (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union-territories.
- (c) **"Bureau"** means the Bureau of Indian Standards;
- (d) **"dealer"**, in relation to steel and steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing steel and steel products whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
- (e) **"manufacturer"**, in relation to steel and steel products, means a person who or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which produces, makes, assembles or manufactures steel and steel products and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a

3389 GI/08-2

company or a co-operative society which claims such steel and steel products to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society, as the case may be;

- (f) **“Schedule”** means the Schedule annexed to this Order;
- (g) **“specified standard”** in relation to steel and steel products means the standard as specified in the corresponding entry in column (1) of the Schedule.
- (h) **“State Government”** in relation to a Union-territory means the Administrator thereof;
- (i) **“steel and steel products”** mean the items specified in column (2) of the Schedule; and
- (j) the words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc..-** (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any steel and steel products given in the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear standard mark of the Bureau on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of steel and steel products required for export, which conform to any specification required by the foreign buyer and such specification shall not in any case be less than the specified standard.

- (2) The sub-standard or defective steel and steel products, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap.

4. **Obligation for certification.**-(1) All manufacturers of steel and steel products shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the standard mark, within forty-five days of the issue of this Order, if not already obtained.
- (2) The grant of licence by the Bureau for use of the standard mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made there under.
- (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture steel and steel products he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from the Bureau for the use of standard mark.
- (4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau for one or more of the steel and steel products, the Bureau shall inform the same to the Appropriate Authority .
5. **Power to call for information, etc.**- The Appropriate Authority may, with a view to securing compliance with this Order-
- (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such steel and steel products; and

- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other steel and steel products kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products.
6. **Testing of samples.**— Samples of any steel and steel products bearing the standard mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be specified by the Bureau.
7. **Power to issue direction to manufactures and dealers.**— The Appropriate Authority may issue such directions to the manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.
8. **Compliance of directions.**— Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products given in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. **Obligation to furnish information.**— No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause (5) or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any steel and steel products kept by, or in the possession or control of, such person.

Schedule

[See clause 2(f)]

List of steel products under mandatory Bureau of Indian Standards certification

Indian standard number	Title
(1)	(2)
1785(Part 1)	Specification for plain hard-drawn steel wire for pre-stressed concrete; Part 1 Cold-drawn stress relieved wire.
1785(Part 2)	Specification for plain hard-drawn steel wire for pre-stressed concrete; Part 2 as drawn wire.
6003	Specification for indented wire for pre-stressed concrete.
6006	Specification for uncoated stress relieved strand for pre-stressed concrete.
13620	Specification for fusion bonded epoxy coated reinforcing bars.
14268	Specification for uncoated stress relieved low relaxation seven ply strand for pre-stressed concrete.

[F. No. 5/13/2004-BIS (Vol. II)]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

का.आ. 2173(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2008 है।

(2) यह आदेश 12 फरवरी, 2009 से लागू होगा।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

3379 67/08-3

- (ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है;
- (i) जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो;
- (ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के सभी महा प्रबंधक, और
- (iii) राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक अथवा आयुक्त।

(ग) 'ब्यूरो' से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(घ) 'व्यवहारी' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता हो।

(ङ.) 'विनिर्माता' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी, भी है जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिंदू अविभक्त कुटुंब या कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, समंजन अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।

(च) 'अनुसूची' से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) 'विनिर्दिष्ट मानक' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (1) में स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत है;

(ज) 'राज्य सरकार' से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(झ) 'इस्पात और इस्पात उत्पाद' से अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं।

(झ) जिन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री और वितरण आदि के बारे में निषेध :- (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिह्न अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ब्यूरो का मानक चिह्न न लगा हो।

परन्तु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देशन के अनुरूप हो और ऐसे विनिर्देशन किसी भी हालत में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होंगे।

(2) अवमानक अथवा दोषपूर्ण इस्पात और इस्पात उत्पादों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हो, को स्कैप के रूप में निपटाया जाएगा।

4. प्रमाणन के लिए वाध्यता (1) इस्पात और इस्पात उत्पादों के सभी विनिर्माता इस आदेश के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, यदि पहले प्राप्त न कर लिया हो, भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है तो वह मानक चिह्न के प्रयोग के लिए ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन प्रारंभ करेगा।

(4) किसी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा ब्यूरो द्वारा अनुसूची के स्तंभ (2) में अभिवादित एक अथवा अधिक इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए उसको रद्द कर दिए जाने पर ब्यूरो उसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को देगा।

5. सूचना आदि मंगाने की शक्ति: उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से,

(क) किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है; और

(ख) किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित या उसके कब्जे में अथवा नियंत्रण में बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों और अन्य इस्पात और इस्पात उत्पादों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।

6. नमूनों का परीक्षण : मानक चिह्न लगे और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु लिए गए किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने का ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसी रीति से परीक्षण किया जाएगा, जो ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों को निदेश जारी करने की शक्ति : उपयुक्त प्राधिकारी विनिर्माताओं और व्यवहारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो अधिनियम अथवा इस आदेश के अनुरूप हों और इस आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

8. निर्देशों का अनुपालन : अनुसूची में दिए गए किसी इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

9. सूचना देने की अनिवार्यता : कोई भी विनिर्माता अथवा व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों की अवहेलना करने के आशय से खण्ड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा अपने अधिष्ठान अथवा नियंत्रण में रखे किसी बही अथवा दस्तावेज या किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद को नहीं छुपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको विकृत अथवा उसके स्वरूप को विरूपित नहीं करेगा।

अनुसूची
(खण्ड 2(च) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अधीन इस्पात उत्पादों की सूची

भारतीय मानक संख्या	शीर्षक
(1)	(2)
277	जस्तेदार इस्पात की चद्दर (सामान्य और नालीदार)
648	कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरियन्टिड इलैक्ट्रिकल इस्पात की चद्दर और पत्ती - पूरी तरह से प्रसंस्कृत प्रकार का
1786	कंक्रीट को और मजबूत करने के लिए उच्च शक्ति की विरूपित इस्पात की छड़ों और तारों के लिए विनिर्देशन
1993	कम तापमान वाली इलेक्ट्रोलिटिक टिन की प्लेट
2002	बायलरों सहित मध्यवर्ती और उच्च ताप हेतु दाब वेसल्स के लिए इस्पात की प्लेटें ।
2041	मध्यम और कम ताप पर प्रयुक्त दाब वेसल्स के लिए इस्पात की प्लेटें ।
2062	तप्तवेल्लित कम, मध्यम और उच्च तनन संरचनात्मक वाला इस्पात जिसके अंतर्गत 6 एम एम से कम व्यास/मोटाई के सरिया और छड़ें और 50 एम एम X 50 एम एम X 6 एम एम से कम की संरचनात्मक (एंगल) नहीं हैं ।
2830	सामान्य संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए इस्पात में पुनः रोल करने हेतु कार्बन इस्पात कास्ट छड़ इन्गोट, छड़े, ब्लूम्स और स्लेब ।
2831	कम तनन संरचनात्मक इस्पात में पुनः वेल्लित करने के लिए कार्बन इस्पात कास्ट छड़ इन्गोट, छड़े, ब्लूम्स और स्लेब्स ।
3024	ग्रेन ओरियन्टिड इलैक्ट्रिकल इस्पात की चद्दर और पत्ती
15391	कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरियन्टिड इस्पात की चद्दर और पत्ती - अर्ध प्रसंस्कृत प्रकार की

[फा. सं. 5/13/2004-बी आई एस (वोल्यूम II)]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2008

S.O. 2173(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement .-** (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2008.
- (2) This Order shall come into force with effect from the 12th February, 2009.
2. **Definitions.-** In this Order, unless the context otherwise requires, -
 - (a) **“Act”** means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) **“Appropriate Authority”** means,-
 - (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry of Steel;
 - (ii) all General Managers, District Industries Centres of the State Governments; and
 - (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union-territories.
 - (c) **“Bureau”** means the Bureau of Indian Standards;
 - (d) **“dealer”**, in relation to steel and steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing steel and steel products whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

- (e) **“manufacturer”**, in relation to steel and steel products, means a person who or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which produces, makes, assembles or manufactures steel and steel products and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society which claims such steel and steel products to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society, as the case may be;
- (f) **“Schedule”** means the Schedule annexed to this Order;
- (g) **“specified standard”** in relation to steel and steel products means the standard as specified in the corresponding entry in column (1) of the Schedule.
- (h) **“State Government”** in relation to a Union-territory means the Administrator thereof;
- (i) **“steel and steel products”** mean the items specified in column (2) of the Schedule; and
- (j) the words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc.**—(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any steel and steel products given in the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear standard mark of the Bureau on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of steel and steel products required for export, which conform to any specification required by the foreign buyer and such specification shall not in any case be less than the specified standard.

(2) The sub-standard or defective steel and steel products, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap.

4. **Obligation for certification.**-(1) All manufacturers of steel and steel products shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the standard mark, within forty-five days of the issue of this Order, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the standard mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made there under.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture steel and steel products he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from the Bureau for the use of standard mark.

(4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau for one or more of the steel and steel products, the Bureau shall inform the same to the Appropriate Authority .

5. **Power to call for information, etc.-** The Appropriate Authority may, with a view to securing compliance with this Order,-

(a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such steel and steel products; and

3379 GI/08-5

- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other steel and steel products kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products.
6. **Testing of samples.-** Samples of any steel and steel products bearing the standard mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be specified by the Bureau.
7. **Power to issue direction to manufactures and dealers -** The Appropriate Authority may issue such directions to the manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.
8. **Compliance of directions.-** Every person engaged in the manufacture, storage for sale; sale or distribution of any steel and steel products given in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. **Obligation to furnish information.-** No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause (5) or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any steel and steel products kept by, or in the possession or control of, such person.

2nd order

6

Schedule
[See clause 2(f)]
List of steel products under mandatory Bureau of Indian
Standards certification

Indian standard number	Title
(1)	(2)
277	Galvanized steel sheets (plain and corrugated).
648	Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip – Fully processed type.
1786	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement.
1993	Cold reduced electrolytic tinplate.
2002	Steel plates for pressure vessels- for intermediate and high temperature service including boilers.
2041	Steel plates for pressure vessels- used at moderate and low temperature.
2062	Hot rolled low, medium and high tensile structural steel (excluding bars and rods of diameter or thickness less than 6mm and structural (angle) below 50mm x 50mm x 6mm.)
2830	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes.
2831	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into low tensile structural steel.
3024	Grain oriented electrical steel sheet and strip.
15391	Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip - semi-processed type.

Added later

[F. No. 5/13/2004-BIS (Vol. II)]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.